अपील सूचना अधिकार संख्या 63/2017 अनवानी बली मोहम्मद पुत्र श्री सरदार अली वार्ड न0 18, पीलीबंगा तहसील व हनुमानगढ बनाम तहसीलदार, सूरतगढ

29–09–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री बली मोहम्मद उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री बली मोहम्मद ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.07.17 के द्वारा तहसीलदार, सूरतगढ़ से निम्न सूचना चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. ग्राम रोही ठुकराना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के खसरा न. 185 की पेमाईश रिपोर्ट संलग्न कर निवेदन है कि खसरा नं. 185 में मम्में खां पुत्र गुलाम़ खां के द्वारा खसरा नं0 185 व 187 की सीमा काश्त कर रखी है व खसरा नं. 185 की सीमाज्ञान के पैमाईश के दौरान मौजूद व्यक्तियों जैसे नेक मोहम्मद हाजी दारे खां व अन्य मौजूद व्यक्तियों से खसरा नं. 185 की सीमा तस्दीक कर मम्मे खां द्वारा खसरा नं.185 से आगे बढकर खसरा नं 178 की सीमा में प्रवेश कर कितनी कृषि भूमि पर काश्त कर रखाी है हाजी दारे खां, नेक मोहम्मद व अन्य से खसरा नं. 185 की सीमा की तस्दीक करवाकर खसरा नं. 187 की कृषि भूमि में मम्में खा द्वारा कितने हैक्टर कृषि भूमि पर काश्त कर रखी कि प्रमाणित रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाए।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलदार, सूरतगढ़ के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 08.07.17 के द्वारा चाही गई सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है और न ही कोई उत्तर दिया गया है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो का उल्लंघन है। इसलिए तहसीलदार सूरतगढ के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जावे एवं उन्हें तुरन्त प्रभाव से सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश प्रदान करें।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार, सूरतगढ से पत्र सं0 1642 दिनांक 08.09.17 के द्वारा टिप्पणी मय संबंधित अभिलेख चाहा गया था जो तहसीलदार सूरतगढ द्वारा उपलब्ध नही करवाया गया है और न ही अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 08.07.17 में वांछित सूचनांए उपलब्ध करवाई गई है और न ही उसके प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय लिया गया है। जबकि सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार आवेदक द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में आवेदन पत्र का 30 दिन के भीतर निर्णय करना आवश्यक है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार, सूरतगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि आदेश प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 08.07.17 का सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत निस्तारण करें और यदि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना दिये जाने योग्य हो तो उसे निशुल्क सूचना उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर